

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 101/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/155

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.आईदानसिंह पुत्र मांगीलाल		1.किशनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
2.भंवरसिंह पुत्र मांगीलाल		2.जोईतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
3.आम्बसिंह पुत्र मांगीलाल		3.शैतानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
4.खीमसिंह पुत्र मांगीलाल		4.सवाईसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
जाति राजपुरोहित		जाति राजपुरोहित निवासी मांझीवाला
निवासी मांझीवाला तहसील पचपदरा व		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
जिला बालोतरा		5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 4
3. विप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 23/06/2025



1. संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 867 रकबा 20.02 बीघा अवस्थित रही है, उक्त भूमि में से विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु 06 विस्वा भूमि, प्रार्थी संख्या 4 को 03 विस्वा भूमि दी गयी, जिस पर उक्त भूमि के नये तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1322/867 रकबा 3.1809 हैक्टेयर बने, खसरा संख्या 867 की भूमि में से प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल द्वारा 06 विस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु विप्रार्थीगण को दी गयी, किन्तु विप्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरित नक्शा संलग्न दर्शाकर अशुद्ध तरमीम रेकर्ड में दर्ज कर दी, सही स्थिति का नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत है, जिसमें मार्क ए से बी विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु दी गयी भूमि को दर्शाया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


स्वीकार किया जाकर ग्राम मांझीवाला की खसरा संख्या 1321/867 रकबा 0.0728 हैक्टेयर के राजस्व रेकॉर्ड नवशा लट्टा ट्रेस में दर्ज अशुद्ध तरमीम को हटाकर माफिक कब्जा व परिशिष्ट अ के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 05 वक्त बहस अनुपस्थित रहे।

3. हमने उभय पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 867 रकबा 20.02 बीघा अवस्थित रही है, उक्त भूमि में से विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु 06 विस्वा भूमि, प्रार्थी संख्या 4 को 03 विस्वा भूमि दी गयी, जिस पर उक्त भूमि के नये तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1322/867 रकबा 3.1809 हैक्टेयर बने, खसरा संख्या 867 की भूमि में से प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल द्वारा 06 विस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु विप्रार्थीगण को दी गयी, किन्तु विप्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत नक्शा संलग्न दर्शाकर अशुद्ध तरमीम रेकॉर्ड में दर्ज कर दी, सही स्थिति का नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत है, जिसमें मार्क ए से बी विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु दी गयी भूमि को दर्शाया गया है। विप्रार्थीगण के रहवासीय मकान भूमि खसरा संख्या 1092/855 में आया हुआ है, जिसमें आवागमन खसरा संख्या 1101/868 व 1104/871 में से उपलब्ध था, प्रार्थीगण के पिता द्वारा जो 09 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण को दी गयी, वो आगे खसरा संख्या 1101/868 व 1104/871 से मिलती थी, किन्तु विप्रार्थीगण ने धोखाधड़ी पूर्वक अशुद्ध तरमीम दर्ज करवा दी, जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात बने हुए है, इसलिए वर्तमान आवेदन रेकॉर्ड में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को हटाकर वास्तविक तरमीम हेतु पेश किया जा रहा है। विप्रार्थीगण के खाते में भूमि खसरा संख्या 1321/867 होने के उपरांत भी विप्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रास्ते की मांग की और प्रकरण संख्या 78/2025 पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1093/855 व 1086/855 में से रास्ते की मांग की गयी, जबकि विप्रार्थीगण के पास पहले से ही रास्ता उपलब्ध है। उक्त प्रकरण के नोटिस प्रार्थीगण पर तामिल हुए तब प्रार्थीगण को तरमीम की जानकारी हुई। उक्त तरमीम सुनवाई, सबूत अवसर दिए बिना ही दर्ज की गयी है। अंत प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम दुरुस्त करने का आदेश पारित किया जावे।



4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वर्णित मार्क ए से बी स्थान पर रास्ते हेतु भूमि दी गयी हो, बल्कि 06 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.05.2016 को दी, जिसके पृष्ठ संख्या 3 पद संख्या 6 में पड़ोस का विवरण अंकित है तथा मौका स्थिति को स्पष्ट करने हेतु पंजीकृत दस्तावेज के साथ नक्शा भी संलग्न किया है, जिसमें बरंग लाल से उक्त 06 विस्वा भूमि की स्थिति को दर्शाया हुआ है, अतिरिक्त इसके विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु उक्त 06 विस्वा भूमि दी, उसके बदले 04 बीघा भूमि प्रार्थीगण की माता के नाम विप्रार्थीगण से प्राप्त की। प्रार्थीगण ने जानबुझकर रास्ते हेतु दी गयी भूमि की परिधि में मकान निर्माण करवाया, तरमीम की प्रविष्टियां माफिक पंजीकृत बेचाननामा में वर्णित पड़ोस व संलग्न नक्शा अनुसार की गई। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विप्रार्थीगण के पास संख्या 1101/868 व 1104/871 में आवागमन का रास्ता उपलब्ध हो, तरमीम किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं थी, बेचाननामा में दी गई संस्वीकृती के विपरित प्रार्थीगण कोई कथन नहीं कर सकते। विप्रार्थीगण को रास्ता नहीं देने की गरज से वर्तमान आवेदन पेश किया है, अतिरिक्त इसके बेवजह विवाद नहीं बढ़े, इसलिये हम विप्रार्थीगण विवाद का हमेशा निस्तारण हो इस मंशा से निवेदन कर रहे हैं कि खसरा संख्या 867 में से तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम वर्तमान स्थान से दुरुस्त करते हुए खसरा संख्या 1105/871 के कार्नर से खसरा संख्या 1100/868 से लगती मुख्य सड़क तक जबाव के संलग्न परिशिष्ट 'ब' में वर्णित मार्क अ, ब, स अनुसार खसरा संख्या वर्तमान में 1322/867 में 13 फीट चौड़ाई में रखते हुए की जावें और उससे आगे खसरा संख्या 1322/867 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता हेतु घोषणा का अनुतोष धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन में किया जावें, ताकि विवाद ही उत्पन्न नहीं हो और ऐसा करने से उक्त रास्ता निकटतम होगा, वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण के घर के पास ही उक्त रास्ता नहीं रहेंगा, यहां यह निवेदन करना भी उचित है कि विप्रार्थीगण को 06 विस्वा भूमि सड़क पर लगती हुई दी गयी थी, इस कारण उक्त भूमि सड़क से लगती ही अब भी रखना आवश्यक है। उसे खसरा संख्या 1101/868 या 1104/871 की तरफ रखना या तरमीम को आगे बढ़ाना कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि खसरा संख्या 1105/871, 1104/871 या 1100/868, 1101/868 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि नहीं होकर संयुक्त खातेदारी की भूमियां हैं और उनमें से रास्ता देने से लम्बा व दुर्गम रास्ता होगा। अंत में निवेदन किया कि विप्रार्थी के पत्राव के संलग्न परिशिष्ट 'ब' में वर्णित मार्क अ, ब, स, अनुसार सड़क के लगती रखते हुए तरमीम दुरुस्ती किए जाने पर आपत्ति नहीं है।



5..हमने उभय पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात एवं पंजीकृत बेचाननामों की प्रतियो का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि मौजा मांझीवाला में मूल खसरा संख्या 867 रकबा 20.02 बीघा अवस्थित रहा है, जिसके पूर्व में एकल खातेदार मांगीलाल पुत्र बुधाजी पुरोहित निवासी मांझीवाला रहे हैं, उक्त रकबा में से जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.05.2016 को 09 विस्वा भूमि किशनसिंह, सवाईसिंह, शैतानसिंह, जोईतसिंह पिसरान पृथ्वीसिंह को 2/3 हिस्सा तथा खीमसिंह पुत्र मांगसिंह को 1/3 हिस्सा निजी रास्ते हेतु बेचान की, जिसका

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवरण पंजीकृत दस्तावेज व उसके संलग्न नक्शा में दर्शाया हुआ है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज में वर्णित पडौस व संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नक्शा में तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 बनाया गया। ताबाद उक्त खसरा की परिधि में वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण ने मकान निर्माण कर दिया, इस कारण वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण का आवागमन खसरा संख्या 1321/867 की परिधि में से नहीं होकर खसरा संख्या 1093/855 की परिधि में से रहा। ताबाद प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य विवाद होने पर उक्त खसरा संख्या 1093/855 में चल रहे रास्ते को वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण ने अवरोधित कर दिया, इस संबंध में भूमिधारक तहसीलदार, भू-निरीक्षक आसोतरा व पटवारी पटवार हल्का मांझीवाला के द्वारा रास्ते को खुलवाने के बावत कार्यवाही भी की गई, किन्तु अवरोधित रास्ता मौके पर नहीं खोला गया, इस कारण वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण ने धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 78/2025 पेश किया, उसके बाद वर्तमान आवेदन पत्र तरमीम दुरुस्ती का आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में ए से बी स्थान पर करने के अनुतोष के साथ प्रार्थीगण ने पेश किया है। प्रकरण के प्रार्थीगण के पिता ने विप्रार्थीगण को आवागमन के रास्ते हेतु मुख्य सड़क से लगती भूमि में से 06 विस्वा भूमि बेचान की जो आगे वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1092/855 में आवागमन हेतु उपयोग लिया जा रहा था, जिससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या मूल 867 में से जो 09 विस्वा भूमि रास्ते हेतु दी गयी वो सड़क के लगती दी गई और अब ऐसी भूमि की परिधि में मौके पर मकानात बनाये हुए बताये गये हैं, ऐसी स्थिति में मूल खसरा संख्या 867 के दक्षिणी-पश्चिमी माट जो खसरा संख्या 1100/868 व खसरा संख्या 1105/871 के लगते भाग जिसे विप्रार्थीगण के द्वारा जबाव के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में मार्क अ, ब, स दर्शाया है के स्थान पर करना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का यह कथन कि आवेदन के संलग्न नक्शा में मार्क ए से बी स्थान पर खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम की जावे जो किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उक्त भूमि रास्ते के उपयोग की नहीं रहेंगी और न कटाण सड़क या मार्ग से उक्त भूमि या भूमि का भाग मिलेगा। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजात का अध्ययन करने के पश्चात उक्त तथ्य सुस्पष्ट है कि वर्तमान नक्शा में जो तरमीम दर्ज है, वो अशुद्ध या अवैध या मिलावटी रूप से की गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, बल्कि एकल खातेदार द्वारा निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.05.2016 में जो पडौस का विवेचन अंकित किया के अनुसार ही की गई है। विधि के अनुसार संस्वीकृती के विपरित अन्य कोई प्रमाण प्रस्तुत करने से ऐसी संस्वीकृती करने वाला पक्षकार या उनका हितबद्ध विबंधित है, फिर भी पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं बढ़े, ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार से आदेश तरमीम दुरुस्ती बाबत पारित करना उचित प्रतीत होता है।



6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद भविष्य में नहीं रहे, विवाद का हमेशा-हमेशा निस्तारण हो, इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण के आवेदन का निस्तारण किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है कि मौजा मांझीवाला के वर्तमान नक्शा में खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम को पड़ोसी खसरा संख्या 1100/868 के लगती मुख्य सड़क तक मूल खसरा संख्या 867 की परिधि में जरिए दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं तथा वर्तमान में जहां खसरा संख्या 1321/867 दर्ज है, वहां से जरिए दुरुस्ती उक्त तरमीम को हटाने के आदेश दिये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खसरा संख्या 1322/867 की भूमि की सीमा खसरा संख्या 1093/855 से सीधी मिलान करेंगी, ताकि मौके पर जो मकानात खसरा संख्या 1321/867 की परिधि में आना बताया है, वो विवाद भी समाप्त हो जायेगा। यहां यह स्पष्ट किया जा रहा है कि खसरा संख्या 1321/867 क्षेत्रफल 0.0728 हैक्टेयर की तरमीम कटाण सड़क से खसरा संख्या 1100/868 से लगती सीमा पर 15 फीट चौड़ाई में करने के आदेश दिए जाते हैं। इसी अनुसार तहसीलदार पंचपदरा आदेश की पालना राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीमी खसरा संख्या 1321/867 रकबा 0.0728 हैक्टेयर की प्रविष्टियां अंकित करे।

वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरे का रकबा यथावत रहेंगा।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23-06-25 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

23/06/25